भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3488
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय नागरिकों का अवैध आव्रजन

3488. **श्री असादुद्दीन ओवैसीः**
श्री के. राधाकृष्णनः
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
एडवोकेट अद्वूर प्रकाशः
श्री के. सी. वेणुगोपालः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारतीय नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में विभिन्न देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करने की रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध आव्रजन के लिए गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी गिरफ्तारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों में विभिन्न देशों से भारत वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों की वर्ष-वार और देश-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या मंत्रालय को अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने पर कोई व्यय करना पड़ता है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में वर्ष-वार कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों के अवैध आव्रजन के मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य देशों के साथ चर्चा या समझौते किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) भारत सरकार को अमेरिका में भारतीय पासपोर्ट धारक अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या के बारे में अमेरिकी प्रशासन से कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जो विदेशी नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं, या जो अपनी वीजा वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रह रहे हैं, या बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका में रहते पाए गए हैं, या जिनके विरूद्घ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें निर्वासित किया जा

सकता है। यदि कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रहता पाया जाता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। तथापि, यह वापसी उनकी राष्ट्रीयता के स्पष्ट रूप से सत्यापन के अधीन होती है। यह केवल भारत द्वारा अपनाई जाने वाली नीति नहीं है; यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांत है।

(ख) और (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देश अपने देशों में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, सिवाय तब, जब उनके निर्वासन के आदेश जारी किए गए हों और उनके यात्रा दस्तावेजों/राष्ट्रीयता का सत्यापन आवश्यक हो। इस प्रकार, हमारे मिशनों और केंद्रों के पास विदेशों में अवैध रूप से रहने या काम करने वाले भारतीयों की संख्या के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी देश-दर-देश अलग-अलग होती है। कुछ देश निर्वासितों को गिरफ्तार नहीं करते हैं और उन्हें निर्वासन तक हिरासत/निर्वासन केंद्रों में रखते हैं। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तारी/हिरासत और निर्वासन के बारे में जानकारी विदेश में भारतीय मिशनों/केंद्रों के साथ साझा नहीं की जाती है और निर्वासित व्यक्ति के पास वैध यात्रा दस्तावेज होने पर सीधे मेजबान सरकार द्वारा निर्वासन किया जाता है। मेजबान सरकारें विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों से केवल ऐसे मामलों में संपर्क करती हैं जहां निर्वासित व्यक्ति को राष्ट्रीयता सत्यापन और आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करना आवश्यक होता है। चूंकि सभी देश भारतीय निर्वासितों का विवरण साझा नहीं करते हैं, इसलिए विदेशों से निर्वासित भारतीयों की सही संख्या इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। अमेरिका पिछले कई वर्षों से निर्वासन अभियान चला रहा है। अमेरिका से भारत निर्वासन के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	**निर्वासितों की संख्या**
2020	**1889**
2021	**805**
2022	**862**
2023	**617**
2024	**1368**
2025 (आज तक)	**388**

(घ) और (ङ) निर्वासन, सामान्य तौर पर प्रेषक देश की जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार अवैध आव्रजन नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध प्रवास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संपर्क बनाए हुए है।

*****